Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 4, March-2019, ISSN 2230-7540

महात्मा गाँधी और रौलट सत्याग्रह

Navdeep*

M.A. History (Net JRF), Kurukshetra University, Kurukshetra

सार – ***मोहन दास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अविस्मरणीय योगदान है। गांधीजी की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने तब के बिखरे हुए समाज को एकजुट कर स्वतंत्रता प्राप्ति के महायज्ञ में लगा दिया था। बापू के नेतृत्व में यूं तो कई छोटे-बड़े कई आंदोलन हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी आंदोलन थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय समाज की दिशा बदलने का महत्वपूर्ण कार्य किया।***

----------X----------

महात्मा गाँधी और रौलट सत्याग्रह

सन् उन्नीस सौ अठारह के नवम्बर मास मे युद्ध समाप्त हो गया था। भारत में स्वराज पाने की आशा सर्वत्र बलवती थी। उधर संकट से उबरे विजयी ब्रिटेन के राजनेता, भारत में अंग्रेज अधिकारी विजय पाकर गर्वीले बन बए थे। विजयोन्माद उन्हे दिनों दिन अधिक मदमस्त बन रहा था। अतः युद्ध में भारीत की सेवा और सहयोग की बात भुला दी गई थी। शांति संधि पर हसताक्षर हो जाने के बाद अंग्रेजी सरकार को भारत की तुष्टि के दिखावे की आवश्यकता नही रह गई थी। स्वतंत्रता की आशा दिलाकर, वचन पालन करने की जगह, अंग्रेजी सरकार भारतीय पुजा की रही सही स्वतंत्रता का भी अपहरण करने पर तुल गई थी।1

प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का योगदान के बदलेसरकार ने उन्हें मुआवजे के रूप में 20 अगस्त 1917 को भारत के राज्य सचिव एडविन एस. मांटेब्यु ने लोक सभा में घोषणा की कि ब्रिटिश नीति यह दृष्टि में रखती है कि न केवल प्रसाशन के हर विभाग में भारतीयों का उतरोत्तर अधिक संसर्ग हो, बल्कि स्वशासित संस्थाएं भी प्रदान की जाए, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहते हुए भारत को क्रमोन्नति से उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति हो। इसे औपनिवेशिक दर्जे का बादा समझा गया। नवंबर 1918 में विजयपूर्वक युद्ध समाप्त हो गया। अशान्ति ने ज्यादा प्रतीक्षा नही की। वह 1919 के प्ररंभ में हि पैदा हो गयी।2

युद्ध का अंत होने पर देश ने आशा की कि नागरिक स्वतंत्रता फिर से स्थापित कर दी जायगी। लेकिन इसके विपरित सर सिडनी रौलट की अध्यखता में एक कमेटी ने 19 जुलाई को एक रिर्पाट प्रकाशित की, जिसमें वस्तुतः युद्ध कालीन सख्तियों को जारी रखने की सिफारिश की गई थी, जिसके अनुसार खुफिया पुलिस का राज, हर तरह की पाबंदी और शासन की निरकुंशता ज्यों की त्यों बनी रहेगी। युद्ध की स्थिती में प्रजा का जो घेरा-बंदी की गई, उसे सदा के लिए प्रजा की दासता का रूप दिया जा रहा था।

यही कठोर वास्तविकता थी, जिसके विरूद्ध भारत में एकमत से भीषण प्रतिक्रिया हुई। राजद्रोह का आन्दोलन शुरू हुआ और महात्मा गाँधी इसके नेता बने।

रौलट एक्ट:-

रौलट एक्ट को काला कानून कहा गया। इसमें ना दलील, ना अपिल, ना वकिल के आधार पर लोगो को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस दल ने रौलट के फैसले की बड़ी उग्रता से भत्र्सना की लेकिन फिर भी सरकार ने इस सिफारिशों के अनुरूप एक विधायक 1919 में इपीरियल लेजिस्लेटिव कौसिल में पेश कर दिया।

रौलट बिल होने वाली कौंसिक में गाँधी जी ने भी भग लिया। उन्होने (गाँधी जी) लिखा है कि मैने वाइसराय से मिलकर बहुत आारजु मिन्नत की, निजी पत्र लिखे, खुली चिट्ठियां लिखी। पर सब जंगल का रोना साबित हुआ।3

उनकी तत्कालिक प्रतिक्रया यह हुई कि जो लोग उनके अनुयायी है उनके लिए एक प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया जाए, जिसके हस्ताक्षरकर्ता इस विश्वास के साथ कि यह विधेयक

www.ignited.in

अनुचित है। इससे न्याय और स्वतंत्रता के सभी सिद्धंतों का उल्लघन होता है एंव यह व्यक्ति के सभी अधिकारो को "इसके कानून बन जाने पर उनके अंतर्गत प्रावधानो की तब तक सविनय अवज्ञा करते रहें, जब तक कानून वापिस न ले लिया जाए।"4

इसी बीच विधेयक कानून का रूप ले चुका था। 18 मार्च 1919 को रौलट एक्ट कानून बन चुका था। सारे भारत में बिजली दौड़ गई।

सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान

जिस समय रौलट एक्ट लागु हुआ उस समय महात्मा गाँधी जी, कस्तुरी रगां आयंगर जी के निमन्त्रण पर मद्रास में थे। लेकिन 24 फरवरी 1919 को साबरमती आश्रम में सत्याग्रही की प्रतिज्ञा तैयार कि जो संभवतः 18 फरवरी को प्रकाशित हुई। रोम्यां रोलां कहते है कि "राजद्रोह का यह अंदोलन वास्तव में 28 फरवरी 1919 के दिन आरंभ हुआ"

गाँधी जी जैसे उदात और सत्यनिष्ठ व्यक्ति में उक्त परिवर्तन आना भारत अंग्रेजी साम्राज्य की नैतिक नींव के विनिष्ट होने का अंतिम चरण था गाँधी जी भारतीय अंतकरण का प्रतिनिधित्व करते थे और उनके मन का विद्रोह उस क्रांति का शंखनाद था, जिसकी परिणति साम्राज्य की समाप्ति में हुई। गाँधी जी सत्याग्रह आंदोलन की रूप रेखा बनाने के लिए चिन्तन कर रहे थे कि 19 मार्च 1919 को रात गए गाँधी जी को स्वपन में यह विचार आया कि भारत भर में पूर्ण हड़ताल की घोषणा करो। सवेरे उन्होने राजगोपालाचार्य को स्वपन के बारे में बताया कि इस कानून के जवाब में हमे सारे देश में हड़ताल करने की सलाह देनी चाहिए। सत्यग्रह आत्मशुद्धि युद्ध है। यह धार्मिक युद्ध है। इसलिए गाँधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने से पहले एक दिन उपवास और काम-काज बंद रखने का आग्रह किया।5

देशव्यापक हड़ताल का दिन पहले 30 मार्च रखा लेकिन बाद में 6 अपैल 1919 कर दिया गया। गाँधी जी ने जगह-जगह जाकर लोगो को सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होने मद्रास, बम्बई, सूरत, त्रिचिनापल्ली, मदुराई, तूतीकोरिन, नागापट्टनम इत्यादि जगहो पर जनासभा को भाषण दिया और सत्याग्रह का व्यापक अर्थ समझाया।6

सत्याग्रह प्रतिज्ञा:-

महात्मा गाँधी ने कहा कि हमारा अन्तः करणपूर्वक विश्वास है कि 1919 के भारतीय दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक संख्या एक और विधि (आपातिक अधिकार) विधेयक सख्या दो नामक विधेयक अन्यापूर्ण, स्वतंत्रता तथा न्याय के सिद्धांत और व्यक्ति के बुनियादी अधिकारो के लिए घातक और विध्वंसकारी है। अतः हम संकल्प लेते है हम ऐसे कानून की सविनय अवज्ञा करते रहेंगे, और साथ हि हम सकंलप करते है कि इस संघर्ष में हम पूरी निष्ठा के साथ सत्य का पालन करेंगे और हिंसा नही करेंगे- किसी की भी जान-माल को किसी प्रकार का नुकसान नही पहुचायेगें। महात्मा गाँधी ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के पास संकट निवारण के दो बल है, एक शस्त्र बल और दूसरा आत्म बल, सत्याग्रह। भारतवर्ष की सभ्यता का रक्षण केवल सत्याग्रह से ही हो सकता है।7

सत्याग्रह आंदोलन की शुरूआतः-

दिल्ली मे 6 अप्रैल की जगह, एक सप्ताह पूर्व तीस मार्च को ही पूर्ण हड़ताल हुई। पुलिस के हुक्म के खिलाफ हजारों का जुलूस निकाला था। हिंदु मुसलमानों की एकता का प्रमाण था कि दिल्ली की जामा मस्जिद में उस दिन आर्य समाज के प्रमुख नेता श्रद्धानन्द ने एक विशाल सभा मे भाषण किया था। राजधानी के इस समाचार से देश भर मे नया उत्साह लहर लेने लगा था।

गाँधी जी बम्बई मे थे। 6 अप्रैल को श्रीमती नायडू और गाँधी जी ने उपवास के साथ आंदोलन का शुभारंभ किया और सरकार द्वारा जब्त की गई किताबें बेची। सरकार से पंजीकरण कराए बगैर एक कानूनी साप्ताहिक पत्र (सत्याग्रह) की प्रतियां भी बेची। यह साप्ताहिक हर सोमवार को प्रकाशित होता था।

दिल्ली में हड़ताल के कारण हिंसा पूर्ण कार्यबाहियां हो गई और पंजाब में दंगे फिसाद हुए और गोलियां चली। नेताओं ने गाँधी जी को दिल्ली और पंजाब आने का अनुरोध किया। मथुरा पहुंचकर उन्हे ऐसी खबर मिली कि उनकी गिरफ्तारी की संभावना है। सुनकर गाँधी जी बहुत प्रसन्न हुए क्योकि गुलाम देश में सच्ची आजादी गिरफ्तारी के बाद हि शुरू होती है।7 अप्रैल मथुरा और दिल्ली के बीच पलवल स्टेशन पर गाँधी जी को उतार लिया गया और गाँधी जी को आज्ञा दी कि - "आपके पंजाब मे प्रवेश करने से अशांति बढ़ने का डर है। इससे आप पंजाब की सरहद में दाखिल ना हो।" लेकिन गाँधी जी ने इस आज्ञा का पालन करने से मना कर दिया। इसलिए उन्हे वहां से बंबई ले जाया गया। सूरत पहुचने पर उन्हे मुक्त कर दिया गया।

लेकिन आंदोलन शीघ्र ही खासकर 9 अप्रैल को गाँधी जी की गिरफ्तारी के बाद, हिंसा के भंवर में फंस गया। दिल्ली,

www.ignited.in

अहमदाबाद और अमृतसर जैसे क्षेत्रों में जनता का अभूतपूर्व गुस्सा उमड़ पड़ा।8

10 अप्रैल को गाँधी जी की गिरफ्तारी का समाचार फैलने पर लाहौर में एक जुलूस निकाला गया। जुलूस मे शामिल विद्यार्थियों पर पुलिस ने गोली चला दी। एक भीड़ और सभा पर भी गोली-वर्षा हुई तीन नेताओं को निष्काषित कर दिया गया। इसमे सईफुद्दीन किचलू, सत्यपाल को पहले तों सार्वजनिक सभा मे भाषण न देने को कहा और बाद मे (10 अप्रैल) को दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उक्त दोनो घटनाओं से लोग भड़क उठे और इसलिए अप्रैल को अमृतसर सैनिक अधिकारियों को सौपं दिया गया और उसी रात ब्रिगेडियर डायर ने नगर का भार संभाल लिया 12-13 अप्रैल को घोषणाएं जारी करके चेतावनी दी गई कि अगर सभाएं दी गई, जुलूस निकाले गए या हिंसात्मक कार्यवाही तो गंभीर परिणाम होंगे।

जनता ने इन धमकियों का प्रतिवाद करने का निश्चय किया और 13 अप्रैल को तीसरे पहर में जलियावाला बाग में एक सभा का आह्वान किया गया, लेकिन जनरल डायर ने मौका देखकर बिना की पूर्व सूचना के बख्तरबंद सैनिक गाड़ियों के साथ जलियावाला बाग को घेर लिया। बिना ऐलान किए जब तक गोला बारूद चुक ना गया, गोलिया चलती रही इसके बाद 15 अप्रैल को पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया।

इस घटना के पश्चात् अनेक जगहो पर हिंसा की घटनाएँ हुई सरकार के पास ऐसे व्यापक जन आंदोलन से निवटने के बारे में पहले का कोई अनुभव नही था। गाँधी जी के भरोसेमद स्वंयसेवक इस व्यापक हिंसा को नियंत्रित नही कर सके और स्वंय भी उसमें शामिल हो गए। सरकार की प्रतिक्रिया में भिन्नताएँ रही।

बंबई से गाँधी जी साबरमती आश्रम गए। वहा उन्होने 14 अप्रैल को एक सभा में भाषण दिया और हिंसापूर्ण कृत्यों की निंदा की। अहमदाबाद के लोगो ने भी हिंसावूर्ण कार्यवाही की थी। इसके प्रायशिचत स्वरूप गाँधी जी ने 72 घंटे के उपवास की घोषणा की।

साबरमती से गाँधी जी सीधे नडिसाद गए। वहा उन्हे पता लगा कि हिंसापूर्ण कार्यवाही छोटे छोटे नगरों में भी फैल गई थी। खिन्न होकर गाँधी जी ने नड़ियाद वासियों से कहा कि सत्यग्रह का आंदोलन "मेरी हिमाचल जैसी भुल थी"।9

मध्य अप्रैल तक सत्याग्रह का जोश ठंडा पड़ने लगा। गाँधी जी उसे वापिस लेने के लिए विवश हो गए क्योकि गाँधी जी ने जिन्हे पंजाब में (अमृतसर, लाहौर, कसूर, गुजरान वाला आदि) गुजरात मे (अहमदाबाद, ब्रीरमगाम, नाडियाड, तथा बंगाल में (कलकत्ता) से हुई हिंसा से बहुत आधात पहुँचा और दुखी मन से कहा "मैने लोगो को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कहा जबकि वे इसके लिए अपने आपको योग्य नही बना पाए थे, और मुझे अपनी भुल हिमाचल जैसे भारी लगी।10

उन्होंने इस आंदोलन को 18 अप्रैल 1919 को आंदोलन को स्थापित कर दिया।

30 मई 1919 के दिन कविन्द्र रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने 'सर' की उपाधि लौटा दी। ममहित होकर गाँधी जी ने जुलाई में स्थगित सत्याग्रह को समाप्त कर देने की घोषणा कर दी।

निष्कर्षः-

राजनीतिक अभियान के रूप में यह स्पष्ट आंदोलन रूप से असफल रहा, क्योंकि वह अपने अकेले लक्ष्य को, रौलट एक्ट को निरस्त करने के लक्ष्य को भी नहीं पा सकाद। उसमें हिंसा भी शामिल हो गई, हालांकिकि उसे अंहिसक होना चाहिए था। गाँधी जी ने माना कि अंहिसा के अनुशासन के लिए अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित जनता को सत्याग्रह का हथियार थमाकर उन्होने भारी गलती की है,लेकिन यह आंदोलन फिर भी महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि यह पहला राष्ट्र व्यापी जन-आंदोलन था और कुछ सीमित वर्गो की राजनीति से जनता की राजनीति मे भारतीय राष्ट्रवादी राजनीति के रूपांतर के आरंभ का सूचक था। 17 अक्तुबर को गाँधी जी को पंजाब जाने की अनुमति मिली। इंग्लैण्ड और भारत का जो सघर्ष भविष्य में 28 वर्षो तक जारी रहा, वह जलियावाला बाग की दुर्घटना से शुरू हुआ।

सन्दर्भ सूची

1. नरेन्द्र शर्मा- महात्मा गाँधी: एक प्रेरक जीवनी
2. लुई फिशर- गाँधी की कहानी, सस्ता साहित्स प्रकाशन, नई दिल्ली, (पृं संख्या 70, (1956)
3. महात्मा गाँधी- महात्मा गाँधी: आत्मकथा, सस्ता साहित्य नई दिल्ली (1960) पृ. संख्या 417
4. डॉ. ताराचंद- भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों का इतिहास (खण्ड 111), नई दिल्ली, 1965, पृं. सख्या 417

www.ignited.in

5. महात्मा गाँधी- पूर्व उद्धत पृ. सख्या 419

6. सम्पूर्ण गाँधी वाड्मय (Aug 1918- July 1919) नई दिल्ली, 1965, पृं. संख्या 156

7. शेखर वधोपाध्याय- प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद औरियटंल ब्लैकस्वान, हैदराबाद (2006) पृ. सं. 293

8. लूई फिशर- पूर्व उद्धत, पृ. सं. 82

9 ताराचंद- पूर्व उद्धत, पृ. सं. 524

Corresponding Author

Navdeep*

M.A. History (Net JRF), Kurukshetra University, Kurukshetra

11nkchahar@gmail.com